अयोध्या को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की नाकेबंदी

*165. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

श्री प्रमोद महाजन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्टूबर को "कार सेवा" के अवसर पर यातायात के अबाध आवागमन में बाधा डालने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाइयां खोदकर और उन पर कंकरीट की दीवारें खड़ी करके अथवा पुलों को डायनामाइट से उड़ाकर किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को बन्द कर दिया गया था ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ तथा उन राजमार्गों को सामान्य हालत में वापस लाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू करने के लिए कुछ राजमार्गों पर अस्थायी सुरक्षा चैक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। आगे यह सूचित किया गया है कि जांच आदि के कारण कुछ स्थानों पर यातायात में अस्थायी रूप से बाधा पड़ी होगी । इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लिए गए कानून, प्रवर्तन उपायों के कारण राजमार्गों को कोई हानि होने के बारे में राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने, जो मैंने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में न तो विवरण देने का प्रयास किया है और जो तथ्य हैं, उनको भी छिपाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि यह हमारे अधिकारों की अवहेलना हुई । इन्होंने एक बात तो यह कही है कि डैमेज होने की कोई सूचना उनको नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार को ब्रिज क्रमांक 82/1 शिवपुरी झांसी सेक्टर, नेशनल हाइवे-25 के डैमेज होने की सूचना है ? मेरे पास पत्र हैं, मेरे पास फ़ोटो है इस पत्र के द्वारा केन्द्र की सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह सूचना 29-10-90 के पत्र द्वारा दी गयी है वहां के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने यह ब्रिज तोड़ा गया है और वहां पर ट्रैफ़िक ब्लाक हो गया है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रिज क्रमांक 82/1 शिवपुरी-झांसी सैक्टर और नेशनल हाइवे 25, इसके डैमेज होने की सूचना उनको है ? अगर है तो यह नेशनल हाईवे के ब्रिज को तोड़ना क्या नेशनल क्राइम है कि नहीं ? और इस पर सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, यह मेरा पहला सवाल है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, वास्तव में जहां तक डैमेज होने की सूचना का सवाल है वहां गया था कि डायनामाइट लगाया गया और यह किया गया यह उसी का जवाब हमने दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कुछ लोगों ने झांसी-शिवपुरी ब्रिज के पास में गड्ढा कर दिया था रोड पर और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है जिसको राज्य सरकार ने अपने द्वारा किया हो जिससे उस पर कोई व्यय हुआ हो, कोई खर्च हुआ हो । इसलिए हमने जो लिखित रूप से जवाब दिया है वह उसी आधार पर दिया है । यह सही है कि रोड पर गड्ढा कर दिया था और

†सभा में यह प्रश्न श्री कृष्ण लाल शर्मा द्वारा पूछा गया ।

और गड्ढा का मतलब डेमैज ब्रिज नहीं होता है। रास्ते मे गड्ढे कर दिए गए थे जिसका कि अननोन एफ. आई. आर भी हम लोगों ने वहां राज्य सरकार ने किया है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय आप उत्तर देखिये, इसमें लिखा हुआ है :

The State Government has received no information regarding any damage having been caused to Highways because of the law enforcement steps .....

इसमें कहीं डायनामाइट और कहीं किसी तरह की डैमेज की बात नहीं है। वह कहते हैं कि डैमेज हुआ ही नहीं है। अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि डैमेज हुआ है। अब गड्ढा भी है कि क्या है ब्रिज पर गड्ढा नहीं हो सकता है, ब्रिज तो तोड़ा ही जा सकता है और इसके बारे में मैं फोटो कापी यहां उपस्थित कर सकता हूं। चेयरमैन साहब को दे सकता हूं और मैं चाहता हूं कि यह इश्यू प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए कि यह इन्फर्मेशन छिपाने की कोशिश क्यों की गई है और इसके बारे में आप चेयरमैन साहब से मैं इसका निर्णय चाहता हूं। मैं अपना दूसरा प्रश्न भी बताना चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सरकार की तरफ से 144 दफा लगा कर और कुछ जगह पर टैंपरेरी सैक्युरिटी चैकपोस्ट और लगाए गए और इसके लिए कुछ उन्होंने बैरीकेट लगाए, मैंने सवाल यह किया था कि नेशनल हाईवे में कितनी जगह पर कहां-कहां यह सारे चैकपोस्ट लगाए गए, मंत्री महोदय ने वह इन्फर्मेशन मुझको नहीं दी है कि नेशनल हाईवे पर कितनी जगह पर और कहां-कहां पर यह चैक पोस्ट लगाए गए ? I want the full information तो हमको यह इन्फर्मेशन देनी चाहिए। मैंने दूसरा इसका सवाल किया था कि यह चैक पोस्ट लगाने पर कितना खर्च हुआ और बाद में इसका डिसमेंटल करने पर कितना खर्चा हुआ। उसके जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि qestion does not arise. अब इन्होंने यह भी मान लिया कि चैक पोस्ट लगाए गए, यह सारे बैरीकेट लगाए गए, सब कुछ हुआ और उसको हटाया भी गया होगा और कहते हैं कि इस पर एक्सपेंसेज का क्वेश्चन इज़ नाट अराइज़ पता नहीं यह खर्चा हुआ, नहीं हुआ, कहां से हुआ ? तो मैं यह डिटेल चाहता हूं और डिटेल में खर्चा हुआ या नहीं हुआ और खर्चा हुआ तो कितना हुआ, यह भी मुझे चाहिए ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : सभापति महोदय, खर्च तो हुआ, जो वहां आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत जगह चैक पोस्ट लगाए गए। वह खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने किया। सभापति महोदय, भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहां कितना खर्चा किया। स्टेट गवर्नमेंट का बजट इस सदन में डिसकस नहीं हो सकता है। खर्चा किया गया कोई छिपाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहां तक शिवपुरी के रोड का है वहां पर एक कलवर्ट डैमेज भी हुआ, पुल पर भी थोड़े समय आवागमन रुका रहा। कितना नुकसान हुआ, कितना उस पर पैसा खर्च हुआ, यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। अगर वह चाहिए तो माननीय सदस्य स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दें, उनको मिल जाएगा और नेशनल हाईवे पर जो डैमेज हुआ होगा उसकी बात हम आपको बता देंगे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : प्रधान मंत्री जी से मेरा निवेदन इतना ही है, अगर वह यह लिखित जवाब में बताते मंत्री महोदय कि यह खर्चे का विवरण हमारे पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो मैं इसको मान लेता। उन्होंने जवाब में यह कहा है कि question does not arise अब यह उत्तर कहां तक ठीक है, मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए ?

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, राज मार्ग पर, नेशनल हाईवे पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे केन्द्र सरकार का खर्चा हुआ हो। इसलिए हमने अपनी बात कही है।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच चम्बल नदी पर भिण्ड और इटावा के बीच के पुल पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाई गई जिसके खिलाफ भिण्ड के कलेक्टर और एस०पी० ने इटावा में जाकर शिकायत दर्ज की ? क्या इस प्रकार की सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी सरकार की व्याख्या में अस्थाई चैक-पोस्ट है और क्या धारा 144, जिसके अंतर्गत 5 लोगों को इकट्ठा आने से रोकने के लिए इस प्रकार की सीमेंट कंक्रीट की दीवार सड़क पर खड़ी करना, क्या यह कानूनी है, उचित है ? इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री **चन्द्रशेखर** : हमें मालूम है कि सीमेंट कंक्रीट की दीवार तो नहीं बनी थी, लेकिन एक दीवार वहां पर अवरोध करने के लिए बनी थी ताकि वहां से बड़ी संख्या में लोग न आ पायें और मैं समझता हूं कि अगर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया तो यह बिल्कुल उचित है, कानून के अंदर है । कानून के अंदर सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठा सकती है । जहां तक भिण्ड के क्लैक्टर की बात है, जरूर यह कोशिश की गई कि इटावा और भिण्ड के कलैक्टर में मतभेद पैदा किए जायें, किन लोगों ने कोशिश की, उसकी चर्चा हम न करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं में कोई योगदान नहीं दिया और दोनों ओर की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल-जुलकर काम किया । वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां बनी थीं और जिन लोगों ने उनको बनाया था, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहेंगे ।

श्री प्रमोद महाजन : इस बात की चर्चा से मुझे कोई संकोच नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर : हमें संकोच है ।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जो अयोध्या में आन्दोलन हो रहा था, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो रही थी और इसी लिए वह आबस्ट्रक्शन पैदा किया गया था और आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे । तो क्या प्रधान मंत्री इसकी भी जांच करवा देंगे ?

श्री चन्द्रशेखर : जांच की, अध्यक्ष महोदय, कोई आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार की चर्चा हुई थी और हमने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदय, . . . (व्यवधान) . . .

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । यह तो आपने उनसे पूछ लिया, लेकिन दूसरे लोग भी बहुत कुछ जानते हैं । अच्छा आप ऐसा करेंगे क्या कि जो चोर चोरी करेगा, उसी से पूछकर मुकदमा साफ कर देंगे ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, सवाल चोर से पूछने का नहीं है, सवाल राज्य सरकार से पूछने का है । जब तक कोई राज्य सरकार संविधान के अंदर काम करती है, हमारे लिए यह विवशता है और यह औपचारिकता भी है कि हम उस राज्य सरकार से पूछेंगे । मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है और जब वहां की सरकार के बारे में कोई चर्चा होगी, तो उस सरकार से पूछना मैं अपना कर्त्तव्य मानता हूं ।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, नहीं । पूछना तो जरूर चाहिए आपको, लेकिन हमारा कहना है कि जब एलीगेशन है ऐसा और वहां की सरकार पर ही ऐलीगेशन है, उसी से पूछकर के आपने खत्म कर दिया । इस मामले की जांच के लिए क्या आपने उत्तर प्रदेश की सरकार से

पूछा कि उधर से हंगामा कराने की कोशिश की गई या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे उसकी जानकारी है, इसीलिए इससे पूर्व प्रश्नकर्ता से भी मैंने निवेदन किया था कि इस मामले को हम न उठाएं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह मामला दब गया है। अब इस मामले को फिर से उठाकर हम कोई कानून और व्यवस्था की मदद नहीं करेंगे, उससे व्यर्थ ही आपस में तनाव पैदा होगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरह पूर्व प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अयोध्या जाते वक्त उस मार्ग को तोड़ना या उस पर दीवार बनाना, क्या एक नेशनल क्राइम था ? मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा जो की गई, वह क्या नेशनल क्राइम था या नहीं था और उसमें कानून और व्यवस्था का पालन करते हुए सब राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का कितना खर्च आया है ? क्योंकि वह नेशनल एक्सचैकर से गया है।

मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने सब राज्य सरकारों को खासकर के उत्तर प्रदेश से लगती हुई राज्य सरकारों को अनुरोध किया था कि मेरे पास सिर्फ एक लाख 76 हजार की पुलिस फोर्स है और अगर लाखों की संख्या में लोग मेरे राज्य की कानून और व्यवस्था भंग करेंगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो राज्य सरकार अपने ही बार्डर पर लोगों को रोके। यह जानने में आया कि कई राज्य सरकारों के मंत्री भी उन जत्थों को लीड कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन-किन राज्यों के कौन-कौन मंत्री उस टाईम गिरफ्तार हुए थे ?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा मंत्री गिरफ्तार हुआ था। मेरी जानकारी में कोई मंत्री तो गिरफ्तार नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य को जानकारी हो तो हमको बता दें तो उसका मैं पता लगा लूंगा। जब आंदोलन चल रहा था उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेताओं से बात की थी—अटल जी और आडवाणी जी थे। उन्होंने हमसे कहा था कि कोई मंत्री इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेगा, तो मैं तो उसी बात को मानता हूं कि किसी मंत्री ने उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया क्योंकि उससे पहले भी मैंने उनसे बात की थी।

जहां तक श्री मुलायम सिंह यादव के पत्र का सवाल है वह बात सही है कि उन्होंने मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान की सरकारों और दिल्ली की सरकार को भी लिखा था कि इन आंदोलनकारियों को अपनी ही सीमा में रखा जाये। लेकिन यह मध्य प्रदेश सरकार ने ही नहीं किया दिल्ली की सरकार ने भी अपनी सीमा से बाहर उनको जाने की इजाजत दी। इसलिए एक की शिकायत करना और दूसरे की शिकायत न करना और जो साम्प्रदायवादी थे उन्होंने भी जाने की इजाजत दी और जो संक्युलर लोग थे उन लोगों ने भी उतनी ही बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जाने की इजाजत दी तो इसलिए हमें कोई घबराहट नहीं है और न मैं इसके लिए दोनों सरकारों में कोई अंतर करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद सलीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री इस बात को दबाना चाहते हैं इसको उठाना नहीं चाहते, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से यह सवाल पूछा गया तो मेरा सवाल उनसे यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 30 तारीख की कार सेवा के मौके पर वे नियंत्रण की बात तो छोड़ दें लेकिन खान-पान और यातायात के लिए जो खर्च किया गया क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार से भी प्रधान मंत्री जी पूछेंगे कि कितना खर्च किया गया था

क्योंकि यह हम यहां बहस में नहीं ले जा सकते ?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, यह पूछने की जरूरत नहीं है । जो लोग सरकार में हों उस आंदोलन से उनकी सहानुभूति हो सकती है। उन्होंने जो खर्च किया है, इतनी बुद्धि उनको है कि वह सरकारी पैसे से खर्चा नहीं हुआ होगा चन्दा मांगकर खर्च किया होगा।

*166 *(The questioners (Shri Shiv Pratap Mishra and Shrimti Surya-kanta Patil) were absent. For answer vide Col.* 8 35-37 infra).

*167. *(The questioners (Shri Ghufran Azarri) was. absent for answer* Vicb *Col.... 37 infr* J.

*168. *[The questioner (Dr. Bapu Kaldate) was absent for answer vide Cols. 38-39* infra.)

ब्रह्मपुत्र घाटी में अभियान के लिए जापान के व्यावसायिक दलों को अनुमति

*169. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान के कतिपय व्यावसायिक दलों को रक्षा मंत्रालय और इंडियन माउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन के सहयोग से महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी में अभियान चलाने के लिए अनुमति देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसी अनुमति देने में देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सुबोध कान्त सहाय) (क) रक्षा मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय ने भारत जापान ब्रह्मपुत्र अभियान को अनुमोदित कर दिया था अनुज्ञा के अनुमोदन का मुख्य विचार यह था कि इस अभियान का नेतृत्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए गठित विशेष बल है को शामिल करने के आधार पर आई एम एफ जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रायोजित एजेंसी है, को अनुमति दी गई। सुरक्षा के पहलुओं पर विचार किया गया और उचित ध्यान दिया गया है।

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: The Brahmaputra Valley is a very sensitive area. I do not know why the Government has given permission to this expedition with the Japanese who are in possession of very sensitive electronic photographic equipments. Moving in the name of expedition, they are expeced to have maps which we do not possess in India but which are available in foreign countries. So I would like to know from the honourable Minister whether all these aspects were considered before giving persmission to such an expedition?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Import of CompoRents/ki; s by M/s. Maruti Udyog Ltd.

*163. SHRI MAHENDRA PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated the 5th October, 1990 to the effect that the Maruti Udyog Limited had imported components and Kits worth crpres of rupees from the Japanese Suzuki unit, which were of no use to the